Phone No. (0522) 2494027
Email. estate@sgpgi.ac.in

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

पत्रांक सं0 पीजीआई / सम्पत्ति / एच–166 / 243 / 2025 दिनांक 14 / 05 / 2025

कार्यालय आदेश

विषयः पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुये संस्थान परिसर को "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" (Plastic Free Zone) घोषित किये जाने के संबंध में।

एतद्द्वारा उपर्युक्त विषयक के संबंध में समय–समय पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं में पॉलीस्टाइनिक और एक्सपैडेंड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन आयात स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध किया गया है। मंत्रालय का कथन है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना आसान है, उसका प्रभाव उतना ही खतरनाक है। सिंगल यूज प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है, बल्कि जानवरों के जीवन के लिए भी घातक है। हमें इसे कम करना होगा और कपड़े या कागज के थैले जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना होगा। तभी हम व अपने पर्यावरण और संस्थान परिसर में विभिन्न प्रकार के पाये जाने वाले बेजुबान पशु व पक्षियों की रक्षा कर पायेगे।

संस्थान द्वारा भी मंत्रालय के आदेशों के अनुपालन में समय–समय पर "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" (Plastic Free Zone) के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे है। उक्त के अनुपालनार्थ पुनः समस्त संस्थान वासियों एवं संस्थान परिसर में संचालित दुकानों के लाईसेंसियों हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे है–

1. संस्थान परिसर क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक (जैसे– प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट आदि) के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
2. समस्त संस्थान परिसर वासियों से अपेक्षा की जाती है कि वह संस्थान परिसर में स्थित दुकानों में खरीदारी के लिये पर्यावरण अनुकूल विकल्पों (कागज़, कपड़ा, जूट आदि) का उपयोग करें।
3. संस्थान परिसर की नियमित निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक / आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (पूर्व में अध्यक्ष, कैम्पस डेवेलवमेंट एडवाइजरी कमेटी द्वारा रू0 200.00 (दो सौ रूपये) का जुर्माना प्रस्तावित)
4. संस्थान परिसर में स्थित दुकान के लाईसेंसियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का इस्तेमान न करें।
5. सभी को इस पहल में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की जाती है।

आपका सहयोग इस दिशा में संस्थान के प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

(ले0कर्नल जयदीप सिंह घुम्मन)
सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों / नोडल अधिकारियों को ई–आफिस के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ उपरोक्त संकाय सदस्यों / अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें ।
3. विभागाध्यक्ष बायोस्टैटिस्टिक्स से अनुरोध है कि उक्त आदेश संस्थान को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. नोडल अधिकारी, सुरक्षा को इस निर्देश के साथ कि सामुदायिक केन्द्र स्थित समस्त दुकानों पर नियमित निगरानी एवं कड़ाई से कार्यालय आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाये।
5. सामुदायिक केन्द्र स्थित समस्त दुकानों के लाईसेंसियों को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. समस्त नोटिस बोर्ड।

14 May 2025
(ले0कर्नल जयदीप सिंह घुम्मन)
सम्पत्ति अधिकारी